उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–24/2022–23

गुलशन कुमार

बनाम्

ब्रज किशोर दास

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गुलशन कुमार, पिता–स्व0 कपिलदेव दास, सा0–लता दिकवानी, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–09/2012–13 के आदेश दिनांक–01.08.2022 विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–09/2012–13 के आदेश दिनांक–01.08.2022 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर ब्रज किशोर दास को मौजा–लता दिकवानी नं0–54 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–लता दिकवानी थाना नं0–54 के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी ब्रज किशोर दास की ओर से आवेदन किया गया था, जिस पर पी0ए0 केश नं0–09/12–13 दर्ज किया गया। उसके बाद सत्यनारायण दास, पे0–स्व0 जगदीश साह, कौशल किशोर दास, पे0–स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक एवं संजीव कुमार दास की ओर से भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया। उक्त आवेदनों पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। दिनांक–23.12.21 को अपीलकर्त्ता ने भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर दिनांक– 24.12.21 को सुनवाई की गयी एवं अपीलकर्त्ता के आवेदन पर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। लेकिन अपीलकर्त्ता के आवेदन पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व ही उत्तरवादी ब्रजकिशोर दास को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। जबकि उत्तरवादी के द्वारा अपने पिता के प्रधानी कार्यकाल में बहुत सारे गलत कार्य किये हैं। इसलिए उत्तरवादी प्रधानी पद के लिए योग्य उम्मिदवार नहीं है। लेकिन फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी,

गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–लता दिकवानी प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए (i) ब्रज किशोर दास, पे0–स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक, (ii) सत्यनारायण दास, पे0–जगदीश दास, (iii) कौशल किशोर दास, पे0–स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक, (iv) संजीव कु0 दास, पे0–रविन्द्र नाथ दास के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दावा किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उम्मिदवारों के आम स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से मौजा के रैयतों की सूची की माँग की गयी एवं उम्मिदवारों का आम स्वीकार्यता जानने के लिए इसे शिविर न्यायालय में निर्धारित किया गया। इसी बीच तीन उम्मिदवार के द्वारा उत्तरवादी ब्रजकिशोर दास के पक्ष में अपना उम्मिदवारी वापस ले लिया गया। उनका आगे कथन है कि उक्त मौजा–प्रधानी है एवं कानून का स्थापित सिद्धांत है कि प्रधानी मौजा में सबसे पहले संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत गौर किया जाएगा। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी ब्रजकिशोर दास गत प्रधान के पुत्र है एवं मौजा में स्थायी रूप से निवास करते है तथा उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। साथ ही उनका दावा उत्तराधिकारी के आधार पर होने के कारण अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा समर्थन किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश में त्रुटि नहीं है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लता दिकवानी, थाना नं0–54 प्रधानी मौजा है।

उक्त मौजा के गत प्रधान स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक, पे0–स्व0 जगदीश प्रसाद दास थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात प्रधानी पद रिक्त हुआ था। उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए (i) ब्रज किशोर दास, पे0–स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक, (ii) सत्यनारायण दास, पे0–स्व0 जगदीश दास, (iii) कौशल किशोर दास, पे0–स्व0 कृष्ण चन्द्र आलोक, (iv) संजीव कु0 दास, पे0–रविन्द्र नाथ दास के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दावा किया गया था। इनमें से गत प्रधान के दो पुत्र कौशल किशोर दास एवं ब्रजकिशोर दास है। बाद में कौशल किशोर दास के द्वारा प्रधानी पद पर अपने दावीदारी को वापस लिया गया है एवं उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी ब्रजकिशोर दास का समर्थन किया गया है। चूँकि निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्ति किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–9/12–13 के आदेश दिनांक–01.08.2022 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:18:26 +05:30
Location: 192.168.1.50